[2017] 3 एस.सी.आर. 808

अरुण कुमार

बनाम

बिहार राज्य और अन्य

(आपराधिक अपील संख्या 825 वर्ष 2017) 01 मई 2017

(आर.के. अग्रवाल और अभय मनोहर सप्रे, न्यायमूर्ति)

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 - धारा 378 - धारा 302/34, 201 और 307 आईपीसी के तहत प्रतिवादी संख्या 2-5 को आरोपों से बरी करने के खिलाफ मृतक के बेटे द्वारा अपील - अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि बंदूकों और लाठियों से लैस आरोपियों ने शिकायतकर्ता पक्ष पर हमला किया, जिसके परिणामस्वरूप एक की मौत हो गई और मुखबिर सहित दो लोग बंदूक की गोली और लाठी से घायल हो गए। घटना को ग्रामीणों ने देखा - ट्रायल कोर्ट ने आरोपी व्यक्तियों को बरी कर दिया - मृतक के बेटे ने हाईकोर्ट में अपील दायर की, जिसे खारिज कर दिया गया - अपील पर, आयोजित: ललित कुमार मामले में, यह माना गया कि अपीलीय अदालत को बरी करने के आदेशों में हस्तक्षेप करने में धीमी गति से काम करना चाहिए जब तक कि ऐसा करने के लिए बाध्यकारी कारण न हों। - उच्च न्यायालय ने ललित कुमार मामले में निर्धारित कानून को ध्यान में रखे बिना अपील पर निर्णय लिया - इसके अलावा, उच्च न्यायालय को संहिता की धारा 385(2) के तहत दिए गए प्रावधानों के अनुसार ट्रायल कोर्ट से मामले का रिकॉर्ड मंगाना चाहिए था, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि उसने ऐसा नहीं किया - अपील पर नए सिरे से निर्णय लेने के लिए मामला उच्च न्यायालय को भेजा गया - दंड संहिता, 1860 - धारा 302/34, 201 एवं 307

अपील की अनुमति देते हुए और मामले को उच्च न्यायालय में भेजते हुए, न्यायालय ने कहा:

1.1 हालाँकि उच्च न्यायालय ने आक्षेपित आदेश में कुछ गवाहों के साक्ष्य का उल्लेख किया है लेकिन अभियोजन पक्ष द्वारा 13 गवाहों के रूप में पेश किए गए संपूर्ण साक्ष्यों का न तो उल्लेख किया गया और न ही उनकी सराहना की गई और न ही उचित परिप्रेक्ष्य में चर्चा की गई। दूसरे शब्दों में, उच्च न्यायालय ने अपील की सुनवाई करते समय अपनी अपीलीय शक्तियों का प्रयोग उस तरीके से नहीं किया, जिस तरह से करना चाहिए था और अपील को खारिज कर दिया। अपने निष्कर्ष में कोई गलती नहीं पाते हुए कहा कि चूंकि सत्र न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण एक

अस्वीकरण
"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

प्रशंसनीय दृष्टिकोण है, इसलिए उच्च न्यायालय द्वारा किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। [पैरा 19][812-सी-डी]

1.2 यह सच है कि उच्च न्यायालय के समक्ष अपील सत्र न्यायाधीश के दोषमुक्ति आदेश के खिलाफ थी जिसमें सभी आरोपियों पर आईपीसी की धारा 302,34,201 और 307 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए आरोप लगाया गया था और उन्हें बरी कर दिया गया था। फिर भी ललित कुमार शर्मा मामले में सत्र न्यायाधीश के बरी करने के आदेश से उत्पन्न अपील की सुनवाई करते समय अपीलीय न्यायालय की शक्तियों के प्रश्न पर इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को अपील की सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय द्वारा विचार में रखा जाना चाहिए था और इसके अलावा, उच्च न्यायालय को संहिता की धारा 385 (2) के तहत दिए गए प्रावधानों के अनुसार ट्रायल कोर्ट से मामले का रिकॉर्ड मंगाना चाहिए था, लेकिन ऐसा लगता है कि इसकी मांग नहीं की गई थी। उच्च न्यायालय ने जिस सरसरी तरीके से अपील का निपटारा किया, वह विवादित आदेश को बरकरार रखने का आदेश नहीं देता है। किसी भी घटना में, प्रतिवादियों (अभियुक्तों) को रिमांड पर अपना मामला उच्च न्यायालय के समक्ष रखने और गुण-दोष के आधार पर सत्र न्यायाधीश के आदेश के समर्थन में अपनी सभी दलीलें पेश करने का पूरा अवसर मिलेगा। [पैरा 20,24,25]{812-ई-एफ; 813-एच; 814-ए-बी]

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 825 वर्ष 2017

पटना उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 21.04.2014 के विरुद्ध आपराधिक अपील (डीबी) संख्या 1030 वर्ष 2013 में।

रोहित शर्मा, रौनक नायक, अरविंद कुमार, तिवारी संदीप पुग्गल, (हरीश पांडे के लिए), अपीलकर्ता के लिए अधिवक्ता।

ई. सी. विद्या सागर, शांतनु सागर, गोपाल सिंह, मनीष कुमार, शिवम सिंह, उत्तरदाताओं के लिए अधिवक्ता।

न्यायालय का फैसला न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे द्वारा सुनाया गया

1. अनुमती प्रदान की गई।

2. यह अपील मृतक श्यो कुमार पति तिवारी के बेटे द्वारा आपराधिक अपील (डीबी) संख्या 1030 वर्ष 2013 में उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित अंतिम आदेश दिनांक 21.04.2014 के खिलाफ

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

दायर की गई है। जिसके तहत उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने अपीलकर्ता द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 372 (इसके बाद "संहिता" के रूप में संदर्भित) के तहत प्रतिवादी संख्या 2-5 की दोषमुक्ति के खिलाफ दायर अपील को खारिज कर दिया। भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 302,34,201 और 307 (इसके बाद इसे "आईपीसी" कहा जाएगा) सत्र परीक्षण संख्या 32 वर्ष 1993 में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-तृतीय, सिवान द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.09.2013 के तहत।

3. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 24.07.1991 को रात्रि 9.00 बजे खाना खाने के बाद सूचक उमा पति तिवारी अपने बड़े भाई राम तपस्या पति तिवारी एवं भतीजा श्यो कुमार पति तिवारी के साथ गांव स्थित बथान काशीदत दियारा जिला सिवान, बिहार पर आपस में बातचीत कर रहे थे। तभी रामनरेश चौधरी बंदूक के साथ, सुखराज मल्लाह बंदूक के साथ, जनार्दन अहीर लाठी के साथ, चंदेश्वर कुर्मी बंदूक के साथ, अनिल सिंह बंदूक के साथ, बलिंदर अहीर लाठी के साथ, नागा भर लाठी के साथ और द्वारिका चौधरी लाठी के साथ समूह में वहां आये और उन पर हमला कर दिया। जनार्दन अहीर और बलिंदर अहीर ने सूचक के दाहिने हाथ पर पांच बार लाठी से वार किया और सुखराज मल्लाह ने सूचक के भाई राम तपस्या पति तिवारी पर बंदूक से गोली चला दी। रामनरेश चौधरी, अनिल सिंह और सुखराज मल्लाह ने शिव कुमार पति तिवारी पर बंदूक से गोलियां चलायीं। सूचना देने वाला और उसके साथ मौजूद लोग घायल होकर गिर पड़े। शिव कुमार पति तिवारी की मौत हो गयी और आरोपी उनके शव को लेकर दक्षिण दिशा की ओर भाग गये। सूचक के दाहिने हाथ और पीठ पर चोटें थीं और राम तपस्या पति तिवारी की बाईं आंख, बाएं कान और नाक पर भी गोली लगी थी। घटना को अन्य ग्रामीणों ने देखा।

4. घटना का कारण यह था कि कुछ दिन पहले अभियुक्तों ने सूचक के खेत की कटीले तार को काट कर चोरी कर लिया था, जिस पर उन्होंने अभियुक्तों को डांटा था।

5. सूचक ने बताया कि उसने चाँद की रोशनी और टॉर्च की रोशनी में आरोपियों को पहचान लिया था। घायल लोगों को सीवान के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया।

6. दिनांक 25.07.1991 को प्रातः लगभग 10.00 बजे श्री महेन्दर पाण्डे थाना प्रभारी, घटना की सूचना पाकर अस्पताल आये और मृतक के पिता का बयान अपनी स्टेशन डायरी में प्रविष्टि क्रमांक

अस्वीकरण
"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

393 पर दर्ज किया। तत्पश्चात् उपनिरीक्षक श्री जे.एन. प्रसाद ने अपराध स्थल का निरीक्षण किया और खून से सनी मिट्टी आदि का नमूना एकत्र किया और गवाहों के बयान दर्ज किए। दोपहर 1.00 बजे श्री ए.ए. खान-सब-इंस्पेक्टर ने अस्पताल में मृतक के चाचा का बयान दर्ज किया।

7. स्टेशन डायरी प्रविष्टि क्रमांक 393 के आधार पर उपनिरीक्षक श्री जे.एन. प्रसाद ने एफआईआर संख्या 42/1991 दिनांक 25.07.1991 को आठ आरोपियों के खिलाफ असांव पुलिस स्टेशन में दर्ज कराया था।

आरोपी व्यक्तियों को पकड़ लिया गया।

8. जांच के बाद 21.10.1991 को राम नरेश चौधरी, बलविंदर अहीर, अनिल सिंह, सुखराज मल्लाह, चंद्रेश्वर कुर्मी, जनार्दन अहीर, नागा भर और द्वारिका चौधरी के खिलाफ आरोप पत्र संख्या 32/91 दायर किया गया।

9, इसके बाद अनिल सिंह, नागा भर और सुखराज मैला, चंद्रेश्वर कुर्मी, जनार्दन अहीर और द्वारिका चौधरी के खिलाफ 09.06.1992 को पूरक आरोप पत्र संख्या 3 वर्ष 1992 दायर किया गया था।

10. 17.09.1992 को संज्ञान के बाद तीन आरोपियों सुखराज मल्लाह, चंद्रेश्वर अहीर और द्वारिका चौधरी का मुकदमा अलग कर दिया गया। इसके बाद नागा भर का मुकदमा भी अलग कर दिया गया।

11. इसके बाद मूल आरोप पत्र के आधार पर सेशन ट्रायल संख्या 32/93 और पूरक आरोप पत्र के आधार पर सेशन ट्रायल संख्या 76/93 दर्ज किया गया। दोनों ट्रायल एक साथ आजमाए गए।

12. अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप तय किये गये। प्रतिवादी संख्या 3 और 4 पर आईपीसी की धारा 201/302/34 के तहत दंडनीय अपराध का आरोप लगाया गया। प्रतिवादी संख्या 2 और 5 पर आईपीसी की धारा 323/324/325/307 के तहत दंडनीय अपराध का आरोप लगाया गया। सभी चार आरोपियों पर दंगा करने और सामान्य उद्देश्य से हत्या करने का आरोप लगाया गया था। अभियोजन पक्ष ने 13 गवाहों से पूछताछ की।

13. दिनांक 17.09.2013 के निर्णय द्वारा, ट्रायल कोर्ट ने सभी आरोपी व्यक्तियों को उनके खिलाफ लगाए गए अपराधों से बरी कर दिया।

14, उक्त निर्णय को चुनौती देते हुए मृतक के पुत्र ने उच्च न्यायालय में अपील दायर की।

15. आक्षेपित आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया।

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

16. इसलिए, अपीलकर्ता ने इस न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति याचिका के माध्यम से यह अपील दायर की है।

17. पक्षों के विद्वान वकील को सुनने और उत्तरदाताओं द्वारा दायर लिखित दलीलों को पढ़ने सहित मामले के रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद। हम आंशिक रूप से अपील की अनुमति देने और कानून के अनुसार गुण-दोष के आधार पर नए सिरे से अपील की सुनवाई के लिए मामले को उच्च न्यायालय में भेजने के इच्छुक हैं।

18. हमारी सुविचारित राय है कि अपील को कानून के अनुसार गुण-दोष के आधार पर नए सिरे से सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय में भेजा जाना चाहिए। मामले को रिमांड पर लेने की आवश्यकता इस कारण उत्पन्न हुई है क्योंकि हमने पाया है कि उच्च न्यायालय ने अपील को सरसरी तौर पर और एक गुप्त आदेश द्वारा खारिज कर दिया है।

19. हालांकि उच्च न्यायालय ने आक्षेपित आदेश में कुछ गवाहों के साक्ष्य का उल्लेख किया है लेकिन अभियोजन पक्ष द्वारा 13 गवाहों के रूप में पेश किए गए संपूर्ण साक्ष्यों का न तो उल्लेख किया गया और न ही उनकी सराहना की गई और न ही उचित परिप्रेक्ष्य में चर्चा की गई। दूसरे शब्दों में हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय ने अपील की सुनवाई करते समय अपनी अपीलीय शक्तियों का प्रयोग उस तरीके से नहीं किया, जिस तरह से करना चाहिए था और अपने निष्कर्ष में यह कहते हुए कि उसके समक्ष लागू आदेश में कोई दोष नहीं पाते हुए अपील को खारिज कर दिया। चूँकि सत्र न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण एक प्रशंसनीय दृष्टिकोण है, इसलिए इसमें उच्च न्यायालय द्वारा किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

20. यह सत्य है कि उच्च न्यायालय के समक्ष अपील सत्र न्यायाधीश के दोषमुक्ति आदेश के विरुद्ध थी। जिसमें सभी आरोपियों पर आईपीसी की धारा 302,34,201 और 307 के तहत दंडनीय अपराध का आरोप लगाया गया था। फिर भी हमारे विचार में अपीलीय न्यायालय की शक्तियों के प्रश्न पर इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून अपील की सुनवाई करते समय सत्र न्यायाधीश के दोषमुक्ति आदेश से उत्पन्न अपील को उच्च न्यायालय द्वारा विचार में रखा जाना चाहिए था और इसके अलावा, उच्च न्यायालय को संहिता की धारा 385 (2) के तहत दिए गए प्रावधान के अनुसार ट्रायल कोर्ट से मामले का रिकॉर्ड मंगाना चाहिए था, लेकिन ऐसा लगता है कि इसकी मांग नहीं की गई थी।

अस्वीकरण
"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

21. ललित कुमार (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को उद्धृत करना उचित है।

“8. संबंधित विद्वान वकील द्वारा उठाए गए तर्कों से निपटने से पहले। हम जांच करेंगे कि क्या ट्रायल कोर्ट का निर्णय स्पष्ट रूप से विकृत और पूरी तरह से अनुचित था जो अपीलीय अदालत को दोषमुक्ति के आदेश के साथ कदम उठाने के लिए मजबूर कर रहा था। अब यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि दोषमुक्ति के खिलाफ अपील में साक्ष्य की समीक्षा करने की अपीलीय अदालत की शक्ति उतनी ही व्यापक है जितनी दोषसिद्धि के खिलाफ अपील में उसकी शक्तियां। लेकिन वह शक्ति सावधानी के साथ है कि अपीलीय अदालत को दोषमुक्ति के आदेशों में हस्तक्षेप करने में धीमा होना चाहिए जब तक कि ऐसा करने के लिए बाध्यकारी कारण न हों। मथाई मैथ्यूज बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले में इस न्यायालय ने बताया है कि (एससीसी पृष्ठ 773-74, पैरा 5): "यदि ट्रायल जज द्वारा पहुँचा गया कोई निष्कर्ष अनुचित निष्कर्ष नहीं कहा जा सकता है, तब अपीलीय अदालत को उस निष्कर्ष को परेशान नहीं करना चाहिए, भले ही रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री के आधार पर एक अलग निष्कर्ष पर पहुंचना संभव हो। ट्रायल कोर्ट के दोषमुक्ति के निष्कर्ष को खारिज करने में अपीलीय अदालत की शक्ति के संबंध में बहुत सारे निर्णय हैं, लेकिन हमें लगता है कि हमारे लिए उन सभी निर्णयों का उल्लेख करना आवश्यक नहीं है। क्योंकि हमारा दृढ़ मत है कि आक्षेपित निर्णय को इस आधार पर भी रद्द किया जा सकता है कि अपीलीय अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों के पुनर्मूल्यांकन पर दोषमुक्ति के आदेश को रद्द करने में गलती की है।

22. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, चूंकि उच्च न्यायालय ने इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को ध्यान में रखे बिना अपील का फैसला किया, ऊपर उद्धृत किया गया, इसने एक त्रुटि की है और इसलिए इस न्यायालय के लिए उस आदेश को बरकरार रखना संभव नहीं है जिसे रद्द किया जाना चाहिए।

23. यह न्यायालय प्रथम अपीलीय न्यायालय के रूप में साक्ष्यों पर चर्चा और सराहना करने का कार्य नहीं कर सकता है और दूसरे, आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों की प्रकृति और अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए सबूतों को ध्यान में रखते हुए। हम ललित कुमार शर्मा (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को ध्यान में रखते हुए गुण-दोष के आधार

अस्वीकरण
"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

पर अपील पर नए सिरे से निर्णय लेने के लिए उच्च न्यायालय से अनुरोध करना उचित और उचित मानते हैं।

24. हमने न्यायालय की अनुमति के अनुसार उत्तरदाताओं द्वारा दायर लिखित दलीलों का भी अध्ययन किया है। हालाँकि, हम ऊपर उल्लिखित कारणों से उत्तरदाताओं की लिखित दलीलों को स्वीकार करने के लिए राजी नहीं हैं। हमारी राय में, जिस सरसरी तरीके से उच्च न्यायालय ने अपील का निपटारा किया, वह हमें विवादित आदेश को बरकरार रखने का आदेश नहीं देता है।

25. किसी भी घटना में, उत्तरदाताओं (अभियुक्तों) को रिमांड पर उच्च न्यायालय के समक्ष अपना मामला रखने और गुण-दोष के आधार पर सत्र न्यायाधीश के आदेश के समर्थन में अपने सभी प्रस्तुतियाँ देने का पूरा अवसर मिलेगा।

26. केस से अलग होने से पहले। हम यह स्पष्ट करना उचित समझते हैं कि हमने मामले के गुण-दोष के आधार पर कोई भी निष्कर्ष दर्ज नहीं किया है, जिससे ऊपर उल्लिखित आधारों पर गुण-दोष के आधार पर मामले को दोबारा अपील की सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय में भेजने की राय बनी हो।

27. इसलिए उच्च न्यायालय इस आदेश में की गई हमारी किसी भी टिप्पणी से प्रभावित हुए बिना कानून के अनुसार सख्ती से अपील पर फैसला करेगा।

28. पूर्वगामी चर्चा को ध्यान में रखते हुए। अपील सफल होती है और तदनुसार आंशिक रूप से अनुमति दी जाती है। विवादित आदेश निरस्त किया जाता है। जिस आपराधिक अपील से यह अपील उत्पन्न होती है, उसे तदनुसार उसकी मूल फ़ाइल में बहाल कर दिया जाता है ताकि उच्च न्यायालय अपील पर शीघ्रता से निर्णय ले सके।

देविका गुजराल   अपील स्वीकृत।

Sandeep Kumar Jaiswal, Advocate
Enrollment No.UP-5956/2018
AOR No.A/S-0328/2019

Sandeep

अस्वीकरण
"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"